



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072021-228365
CG-DL-E-19072021-228365

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2668]
No. 2668]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2021/आषाढ 28, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2021/ASHADHA 28, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

का.आ. 2874(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 18(i) के अंतर्गत अधिकतम मूल्य के संशोधन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनएलईएम 2021 जारी होने तक 5 वर्ष की अवधि के पूरा होने के बाद अधिकतम मूल्यों से संशोधन को स्थगित रखने के लिए एक बार छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. 31011/5/2018- मूल्य निर्धारण]
रजनीश टिंगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2021

S.O. 2874(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby grants the one time exemption from revision of ceiling price under para 18(i) of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 and to keep in abeyance the revision of ceiling prices after completion of 5 years term till NLEM 2021 is released by the Ministry of Health & Family Welfare.

[F. No. 31011/5/2018-Pricing]
RAJNEESH TINGAL, Jt. Secy.

3954 GI/2021